**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।**
**पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2974 सन 2026**
**CNR. No.UPSP010070212026**

**विजय पुत्र शेर सिंह, निवासी–डाकखाने वाली गली कस्बा व थाना सरसावा, जिला सहारनपुर।**
**.....प्रार्थी/अभियुक्त।**

**बनाम**

**उ0प्र0 राज्य।** **.....विपक्षी।**
**मु.अ.सं. 128/2026**
**धारा 109(1) बी.एन.एस**
**थाना सरसावा, जिला सहारनपुर।**

## निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

**10.07.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त **विजय** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 01.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती अलका रानी पत्नी शेरसिंह का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादिया राजकुमार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 25.11.2024 को शाम 7 बजे दंबग व राजनैतिक प्रभावशाली निखिल, बंसत, भोदा व अन्य वादी के लडके की दुकान पर गये और वादी के लडके से चाउमीन खायी, जब ये लोग चाउमीन खा कर जाने लगे तो वादी के लडके ने उनसे पैसे मांगे तो ये सभी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे तथा दुकान का सामान भी तोडफोड दिया और गल्ले में रखे 350/–रूपये जबरदस्ती निकाल दिये। इन्होंने वादी के लडके विजय के सिर में कोई धारदार हथ्यिार से जान से मारने की नियत से हमला भी किया, जिससे उसका सर फट गया। शोर पर उपरोक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तग की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी उक्त अपराध में थाने से जमानत पर है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र विजय को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से मारपीट करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में **मजरूब निखिल** के सिर पर लेस्सरेटिड वून्ड की एक चोट व उक्त चोट को एक्सरे की सलाह दिया जाना एवं **मजरूब मन्नु** के माथे पर लेस्सरेटिड वून्ड की दो चोट, सिर पर लेस्सरेटिड एवं ट्रामेटिक स्वेलिंग की दो चोट आना एवं आहत की उक्त चोटो को एक्सरे की सलाह दिया

जाना तथा आहतो की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहतो को उक्त चोटो में कोई अस्थिभंग न पाये जाने के कारण आहतो की उक्त चोटे साधारण प्रकृति की होना उल्लेखित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य मुकदमें में आवेदक/अभियुक्त शेर सिंह द्वारा जमानत पर होने का कथन किया गया है तथा अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त सुनील की जमानत पूर्व में दिनांक 07.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विजय** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्तगण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
2. आवेदक/अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. आवेदक/अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

**दिनांकः–10.07.2026**

**(सतेन्द्र कुमार)**
**सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**
**J.O. CODE- UP 1891**